धारा-101. अपीलों का संक्रमण-(1) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा 98 के अधीन कोई अपील करने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है, अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं अपने को संक्रमित कर सकता है, और उसे निस्तारित कर सकता है।